URGENT ANNEXUR

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

संचिका संख्या : 10 / न 4–13 / 2010......... विभागीय पत्रांक–537 दिनांक–28.06.2010 द्वारा प्रारंभिका, बोरिंग रोड, पटना को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में विद्यालय का स्थलीय पता प्रारंभिका, बोरिंग रोड, पटना है।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त विद्यालय को स्थल परिवर्त्तन करने की अनुमति दी जाती है।

अब उक्त विद्यालय का स्थलीय पता **प्रारंभिका, अहमदपुर, बलुआ, पोस्ट--मनेर, जिला--पटना** होगा।

शेष शर्त्तें यथावत रहेंगी।

ज्ञापांक.............................. दिनांक....................................

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली–110092 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(लक्ष्मण कुमार सिंह)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक.............................. दिनांक....................................

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, **पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक......1521...... दिनांक......14/12/12......

प्रतिलिपि : प्राचार्य, प्रारंभिका, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14-12-12

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

14/12/12

पत्रांक 10/न4–29/2008 537

ANNEXURE 4-

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य
उप सचिव,

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक 28/06/10

विषय : प्रारंभिका बोरिंग रोड, पटना को अनापत्ति प्रमाण–पत्र के निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या–238 दिनांक–03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा **प्रारंभिका बोरिंग रोड, पटना** को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :–

1. यह विद्यालय प्रारंभिका एडुकेशनल ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।

4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में 29 (उनतीस) शिक्षक हैं। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चत करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तें के अनुसार :–

(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निः शुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार